



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक - 2288 / 23 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक-गोपेश्वर 11/10 / 2016

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :-

मा. मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक 548/12-1 दि. 04.08.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक कार्य के वनभूमि प्रस्तावों पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नप्रकार प्रेषित है :-

क्रम सं०	वन विभाग द्वारा लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The employment details filled in Part-I is seems to be incorrext.	पैरा 1 में मोटर मार्ग निर्मित होने पर लाभान्वित विवरण सही कर दिया गया है।
2	In the FRA certificate the word nor applicable is written against a, b, c which is not correct. The revised FRA certificate without mentioning NOT APPLICABLE may upload.	FRA Paper अपलोड कर दिये गये हैं। NOT APPLICABLE Certificate इस विभाग द्वारा नहीं दिया जाना है।
3	In village wise breakup the name of villages mentioned Gadora and Mehargaon but the village level committee/VLC proceeding provided of Luawh. The necessary correction to be made provide VLC for all villages inviolved in the proposed road.	गडोरा गांव पूर्व ही रा.इ.का., गडोरा मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ है। त्वां-दिगोली मोटर मार्ग गडोरा ग्राम की मात्र सीमा से ही गुजरता है जिस कारण गडोरा ग्राम के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हुई।
4	The tree enumeration done in 6m wide but as per land schedule the width of road is 7m The revised tree encumeration may provide tking complete width of 7m.	लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार मार्ग का निर्माण 5.95 मी. चौड़ाई में किया जाता है, जिस कारण पेड़ों की गणना भी 6.00 मी. चौड़ाई में की गयी है। भारत सरकार के निर्देशानुसार कम से कम चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वनभूमि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

11-10-16
अधिशासी अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर